सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के अध्यक्षता में नई दिल्ली में 08.02.2016 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त

सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की आठवीं बैठक विज्ञान भवन , नई दिल्ली में दिनांक 08.06.2016 को 11:30 बजे आयोजित की गई। डॉ० राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार; श्री गिरीश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार; श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, झारखंड सरकार; तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. विद्यासागर राव; और केंद्र सरकार और राज्य सरकार संगठनों के विभिन्न सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I पर रखी गई है।

प्रारंभ में, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बैठक में विशेष समिति के सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि समिति की सातवीं बैठक लगभग दो महीने पहले 18 नवंबर 2015 को हुई थी, और तभी से इस कार्य में लगातार प्रगति हुई है। देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा यह जल, सूखा प्रवण और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27.2.2012 के अपने फैसले में नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम राष्ट्रीय हित में उल्लेखित किया था और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया था। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि 3 फरवरी 2016 को भुवनेश्वर में महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना जो सभी प्रायद्वीपीय लिंक हेतु मातृ लिंक है, के बारे में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के साथ एक बैठक और ओडिशा सरकार से इस संबंध में सकारात्मक उत्तर कि अपेक्षा है।

उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विभिन्न मंजूरी, चरण-I प्रसंस्करण के उन्नत चरण में हैं। लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने दिनांक 22.9.2015 को आयोजित अपनी बैठक में संस्तुति दी है और इसे पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (एम.ओ.ई.एफ. और सी.सी.) के राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया है। उन्होंने आगे कहा कि दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण के मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण द्वारा नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए गठित कार्यबल सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच में विस्तार कर रहा है और लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के बीच तेजी से आम मतैक्यता लाने में मदद करेगा। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सभी सदस्यों, विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता की मांग की, जो कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु बहुत आवश्यक थी।

अपनी टिप्पणी में प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने बताया कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना परियोजनाओं से सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सूखा शमन और नौपरिवहन आदि में बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि रा.ज.वि.अ. ने हाल ही में गोदावरी-कृष्णा लिंक परियोजना में इंचमपल्ली बाँध स्थल पर गोदावरी बेसिन के जल संतुलन के अध्ययन को संशोधित किया है और प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति इससे संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने आगे

कहा कि एनपीपी लिंक के अतिरिक्त, रा.ज.वि.अ. ने अंतरा-राज्य संबंधों के प्रस्तावों को पर्याप्त रूप से लिया है। दो अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के डीपीआर अर्थात् (i) बुरही-गंडक-नून-बाया-गंगा और (ii) कोसी-मेची को पहले ही तैयार कर बिहार सरकार को भेज दिया गया है। विभिन्न राज्यों के अंतरा-राज्य संबंधों के चार अन्य डीपीआर रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने रा.ज.वि.अ. को विभिन्न लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रमों से संबंधित अन्य कार्यों में कार्य करने के लिए सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि संबंधित राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करने के बाद लिंक परियोजनाओं की योजना बनाई जाएगी और शुरू की जाएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि पर्याप्त जल संसाधनों वाले राज्यों को सद्भावना और सहयोग की भावना के साथ राष्ट्रीय आवश्यकता को समझना चाहिए और ज़रूरत वाले क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी राज्यों का सहयोग अनिवार्य रूप से नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है, जिससे देश को समृद्धि मिलेगी।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण), इसके पश्चात, राज्य सरकारों के माननीय मंत्रियों से अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया।

राजस्थान:

राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री डॉ राम प्रताप ने कहा कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देश का 10.5% है जबकि इसकी आबादी कुल आबादी का 5.5% है, लेकिन व्यावहारिक रूप से राज्य में जल नहीं था। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त माही जल का उपयोग करने के लिए एक अंतरा -राज्य लिंक परियोजना अर्थात माही-लुनी लिंक योजना बनाई थी। हालांकि, यह रा.ज.वि.अ. द्वारा संभव नहीं पाई गई। उन्होंने अनुरोध किया कि राजस्थान कम जलीय राज्य है, सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संसाधन परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात के मानदंड को शिथिल किया जाना चाहिए। राजस्थान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में अग्रणी राज्य है। पिछले योजना आयोग द्वारा रेगिस्तान/सूखाग्रस्त क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किए गए दिशानिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों को सिंचाई हेतु अधिक केंद्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के गठन का स्वागत किया और इच्छा व्यक्त की कि यदि पंचेश्वर बांध के निर्माण में समय लगता है, तो शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंक नहरों का काम शुरू कर बाढ़ के जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य को हाल ही में सी.बी.आई.पी. द्वारा सबसे अच्छा जल उपयोग करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) का धन्यवाद किया।

महाराष्ट्र:

श्री गणेश महाजन, माननीय जल संसाधन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी 2016 को जलगांव आने के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) का धन्यवाद किया था, जहां उन्होंने तापी मेगा रिचार्ज योजना की यात्रा की, यह एक अनूठी भूजल पुनर्भरण योजना प्रस्तावित की गई है जो महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित एक कार्यबल ने हाल ही में अपनी प्रतिवेदन सौंपी है जिसमें इसमें प्रस्ताव की संभाव्यता को संभव बताया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ अंत:राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक करने की योजना बना रही है जिससे जल के बंटवारे को सुलझाया जा सके और इस योजना के मूल्य साझाकरण के मुद्दों पर विचार किया जा सके। उन्होंने उल्लेख

किया कि दमनगंगा-पिंजल (डी-पी) लिंक परियोजना में, महाराष्ट्र ने बल दिया है कि जल को 75% निर्भरता पर साझा किया जाए और तदनुसार सुरंगों/जल संचरण प्रणाली का आकार जल कि आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि पिछले बैठक में मतैक्यता के अनुसार जल साझाकरण मुद्दों को हल करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्य मंत्रियों कि एक संयुक्त बैठक जल्दी बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि अगस्त , 2015 में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार पार-तापी-नर्मदा (पी-टी-एन) लिंक परियोजना की डीपीआर राज्य डिजाइन संगठन द्वारा किया जा रहा था और महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इसपर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर देगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कोयना-मुंबई सिटी अंत:राज्यीय लिंक की पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ दिनांक 26.10.2015 के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है और अनुरोध किया गया है कि वह डीपीआर की तैयारी के काम में तेजी लाए।

झारखंड:

झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 29 सितंबर, 2015 को बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण कोयल-सुबर्णरेखा और सांख-दक्षिण कोयल अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं का जल विज्ञान के अध्ययन राष्ट्रीय जल संस्थान, रुड़की द्वारा यह चार माह कि अवधि में, इन परियोजनाओं के डीपीआर को प्रारंभ करने से पहले किया जायेगा।

उन्होंने अध्ययन में तेजी लाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने रा.ज.वि.अ. के अंत:राज्यीय संबंधों के डीपीआर की तैयारी के बारे में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले लागत के सन्दर्भ में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के मंत्रालय के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि यह पिछड़े राज्यों जैसे झारखंड जैसे राज्यों के पक्ष में नहीं है। अतः उन्होंने माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) से अनुरोध किया है कि वे निर्णय की समीक्षा करें जिससे इस संबंध में राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। । उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए संभव नहीं होगा। माननीय मंत्री ने आग्रह किया कि ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया जाए जिससे कुल लागत का 90% भारत सरकार द्वारा साझा किया जा सके।

तेलंगाना:

तेलंगाना सरकार के सलाहकार श्री आर. विद्यासागर राव ने कहा कि रा.ज.वि.अ. के 1989 के अध्ययनों में इंचमपल्ली बाँध स्थल पर जल का संतुलन 75% निर्भरता पर 720 टीएमसी पाया गया था। अब, नवंबर, 2015 में रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए संशोधित अध्ययन से पता चला है कि इंचमपल्ली में 75% निर्भरता पर शेष जल राशि 272 टीएमसी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से साफ था कि जल संतुलन 448 टीएमसी कम हो गया है उन्होंने उल्लेख किया कि पहले के अध्ययन में, 720 टीएमसी का पूरा जल संतुलन इंचमपल्ली से दो लिंक के जरिए स्थानांतरित किया जाना था; इंचमपल्ली-नागार्जुनसागर में 582 टीएमसी और इंचमपल्ली-पुलिछिन्तला को 138 टीएमसी शेष राशि ले जाना था। कम जल संतुलन से, इन दो लिंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र की आवश्यकताओं का आकलन परियोजना प्रतिवेदन और मास्टर प्लान के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन वास्तविकता में, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) के अधिनिर्णय से उनके अधिकार और जल अधिकार सुरक्षित थे। इसी तरह, पूर्व आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश

राज्य) जीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के अनुसार शेष जल के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि 20 अगस्त 1 99 2 को आयोजित रा.ज.वि.अ. की त.स.स. की 16 वीं बैठक में किए गए फैसले के अनुसार "रा.ज.वि.अ. द्वारा अंत:राज्यीय समझौतों और निर्णयों का पालन किया जाएगा"। उन्होंने आगे कहा कि रा.ज.वि.अ. द्वारा उनकी त.स.स. के निर्णयों के अनुसार 120 मीटर उद्वहन का प्रतिबंध अपनाया जा रहा था। यह अब वैध नहीं था, क्योंकि योजना आयोग ने तेलंगाना राज्य में जीएलआईएस परियोजना के मामले में 469 मीटर की ऊंचाई को मंजूरी दे दी थी। अतः जीडब्ल्यूडीटी निर्णय पर विचार करके और 120 मीटर उद्वहन के कृत्रिम प्रतिबंध को हटाकर, 272 टीएमसी की जल की शेष राशि व्यपवर्तन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि गोदावरी पर निर्भर जल को हटाने के प्रस्तावों को तैयार करने के बजाय रा.ज.वि.अ. को अधिशेष जल के व्यपवर्तन पर ध्यान देना चाहिए, 50% या उससे कम निर्भरता, अन्यथा जो समुद्र में बेकार में बह जाएगी।

इसके बाद, माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक को सलाह दी कि वे चर्चा के लिए कार्यसूची मद प्रस्तुत करें।

मद सं. 8.1: नई दिल्ली में 18 नवंबर, 2015 को आयोजित नदियों के बीच में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 7 वीं बैठक के मिनट की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की 7 वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.12.2015 के पत्र के माध्यम से वितरित किए गए थे। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली अतः कार्यवृत्त को परिचालन अनुसार पुष्टि की गई।

मद सं. 8.2: पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों का अनुपालन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने विशेष समिति की सातवीं बैठक के दौरान विभिन्न निर्णयों पर किए गए अनुवर्ती कार्रवाई को निम्नानुसार बताया:

i) तमिलनाडु सरकार ने विशेष समिति की छठवीं बैठक के कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणी समिति की सातवीं बैठक के कुछ समय ही पहले ही प्रस्तुत की थी। इसमें यह पाया गया कि टिप्पणियां विशेष समिति की छठे बैठक के '"कार्यवृत्त के अभिलेख" से संबंधित नहीं थीं, एवं तमिलनाडु के पौन्नैयार (कृष्णागिरी)-पावल लिंक आकलन कर्नाटक की टिप्पणियों पर आधारित थे। निर्णयानुसार यह सूचित किया गया था कि, तमिलनाडु सरकार के पौन्नैयार (कृष्णागिरी)-पलार लिंक पर कर्नाटक की टिप्पणियों के उत्तर को तमिलनाडु सरकार को दिनांक 19 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि का अनुरोध है कि चूंकि यह मुद्दा कर्नाटक से संबंधित था, तमिलनाडु की टिप्पणियों की प्रतिलिपि और रा.ज.वि.अ. द्वारा उन्हें भेजे गए उत्तर कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराया जाए, जिस पर मतैक्यता हुई।

ii) सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नेत्रावती-हेमावती अंतरा-बेसिन लिंक के लिए बेंगलुरु शहर और अन्य कम जल क्षेत्रों की घरेलू जल आवश्यकता के लिए नेत्रावती नदी के जल का उपयोग करने और ईआईए अध्ययन के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना का विवरण बेदी-वरदा अंतरा-बेसिन लिंक परियोजना क्षेत्र के लिए एक महीने की अवधि में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

यह सूचित किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने दिनांक 19 दिसंबर, 2015 के पत्र के द्वारा नेत्रावती के जल को कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, बेंगलुरु, हसन, तुमकुर और चिकमगलुरु जिले को स्थानांतरित करने वाली यतीनिहोल परियोजना के डीपीआर की एक प्रति प्रदान की थी। रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है। तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने की डीपीआर की एक प्रति के लिए अनुरोध किया, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को दिया जायेगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया था कि वह बेदी-वर्दा लिंक के ईआईए अध्ययन करेगी।

iii) सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रा.ज.वि.अ. नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के जल संतुलन अध्ययन के लिए अपने दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा और इस मामले को संबंधित उप-समिति को विचारार्थ भेजेगा। नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के जल संतुलन अध्ययन के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है और इन्हें नदियों का अंतर्योजन (एससी-आई) और उप-समिति के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/ प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति की संयुक्त अगली बैठक में विचार हेतु रखा जाएगा और सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना (एससी-II) की पहचान हेतु प्रणाली अध्ययन और एक कार्यसूची मद के रूप में इसके बारे में और राय ली जाएगी।

iv) तेलंगाना सरकार के सलाहकार ने सुझाव दिया कि उप-समिति की दिशा-निर्देशों पर विचार हेतु बैठक

में संबंधित राज्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि राज्यों के दृष्टिकोण पर बैठक में ही विचार जा सके। इस सुझाव पर सहमती हुई।

iv) पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पुनर्गठन के लिए उप-समिति की प्रतिवेदन पर सदस्य अपने विचार दो सप्ताह के समय में दे सकते हैं। सदस्यों के विचारों/टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद, सरकार की मंजूरी के लिए इस प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवेदन पर कोई विचार/टिप्पणियां समिति के किसी भी सदस्य से प्राप्त नहीं हुई थीं।

ऊपर उल्लिखित अनुवर्ती कार्रवाई का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं. 8.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना, चरण-I - विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति

महानिदेशक रा.ज.वि.अ. ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का प्रस्ताव, चरण-I को 26 अक्तूबर, 2015 को आयोजित अपनी 88 वीं बैठक में पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन के पर्यावरण मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विचार किया गया था, जिसमें समिति ने मध्य प्रदेश के राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा परियोजना की वन्यजीव मंजूरी मांगी थी और पन्ना टाइगर रिजर्व में विस्तृत उपाय जैसे लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (एलएमपी) में अपनाया जाने वाले उपाय की जानकारी मांगी थी। ईएसी द्वारा मांगी गई आवश्यक विवरण / स्पष्टीकरण सदस्य सचिव, ईएसी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन को सौंप दिया गया था। यह सूचित किया गया था कि ईएसी द्वारा 9 फरवरी, 2016 को होने वाली अपनी 89 वीं बैठक में विचार हेतु परियोजना को सूचीबद्ध किया गया था।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि राज्य वन्यजीव बोर्ड, मध्य प्रदेश की सिफारिशों के साथ वन्यजीव मंजूरी के प्रस्ताव 14 दिसंबर, 2015 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वन परिषद (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) को सौंप दिए गए थे। वन्यजीव मंजूरी का मामला एन.बी.डब्ल्यू.एल. की अगली बैठक में लिए जाने की उम्मीद थी, जो फरवरी, 2016 में संभावित थी।

यह उल्लेख किया गया था कि छतरपुर और पन्ना जिले के संबंध में वन भूमि व्यपवर्तन के लिए एफआरए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। सीसीएफ छतरपुर, सागर और दमोह से जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीएटी) योजना की तकनीकी मंजूरी भी मिल गई है। सभी आवश्यक विवरण/दस्तावेज वन विभाग, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत किए गए हैं और 31 दिसंबर, 2015 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वन विभाग, म.प्र., वन भूमि व्यपवर्तन मंजूरी पर कार्रवाई कर रहा था। रा.ज.वि.अ. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से इस मामले को देख रहा था।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं. 8.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि प्रतिवेदन निचला ओर बांध पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन की ड्राफ्ट डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा पूरा किया गया था जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा

अनुमोदित टीओआर के अनुसार किया गया था। निचला ओर बांध के लिए सार्वजनिक सुनवाई तीन स्थानों अर्थात गांव ददौनी (जिला शिवपुरी), गांव पिपरौद (जिला अशोक नगर) और ग्राम नौनर (जिला दतिया) में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों द्वारा अनुपालन के साथ उठाए गए मुद्दों को अंतिम ईआईए और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। पर्यावरण मंजूरी के लिए अंतिम ईआईए प्रतिवेदन 13 जनवरी 2016 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन की वेबसाइट को अपलोड किया गया है।

यह सूचित किया गया था कि ईएसी मंजूरी के लिए निचला ओर बांध का प्रस्ताव दिनांक 9 फरवरी, 2016 को आयोजित होने वाली ईएसी की 89 वीं बैठक में विचार किए जाने की संभावना है। इसे आगे बताया गया था कि प्रपत्र-I निचला ओर बांध के तहत वन भूमि व्यपवर्तन के लिए जिलाधीश और जिला वन अधिकारी (डीएफओ), अशोक नगर और शिवपुरी को वन मंजूरी के मामले में प्रसंस्करण के लिए सौंप दिया गया। निचला ओर बांध के वन मंजूरी के मामले में आगे की प्रक्रिया वन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाना है।

मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के चरण-II में चार परियोजनाओं में निचला ओर बांध शामिल है। उन्होंने उल्लेख किया कि ईआईए सहित विभिन्न मंजूरी के लिए निचला ओर बांध परियोजना घटक पर काम किया जा रहा है। वनीकरण के लिए एनपीवी/क्षेत्र की गणना करते समय मौजूदा जल निकायों के डुब क्षेत्र में पहले से ही जंगल क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि बीना कॉम्प्लेक्स, कोठा बैराज आदि जैसी अन्य परियोजनाएं भी हैं जिन्हें शीघ्रता से किए जाने कि आवश्यकता है। उन्होंने रा.ज.वि.अ. से अनुरोध किया कि वह चरण-II के डीपीआर को मार्च, 2016 के अंत तक प्राथमिकता से पूरा करें। उन्होंने सुझाव दिया कि इन परियोजनाओं में हमें सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के उपयोग और मौजूदा नेटवर्क के आधुनीकरण के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई जानी चाहिए जिसमें समझौता ज्ञापन को समुचित समझौते में परिवर्तित किया जाए।

मद सं.8.5: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं-डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद सं.8.5.1: दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि दमन-गंगा-पिंजल लिंक परियोजना का डीपीआर अप्रैल, 2014 में पूरा कर लिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को सौंप दिया गया है। बृहत मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) ने परियोजना का डीपीआर जनवरी, 2015 को केंद्रीय जल आयोग को मूल्यांकन के लिए सौंपा जो लगभग समापन चरण में है। यह उल्लेख किया गया था कि परियोजना में जल भागीदारी के मुद्दे पर विशेष समिति की आखिरी बैठक में चर्चा हुई थी और सदस्यों को यह उम्मीद थी कि दोनों राज्यों के बीच जल साझाकरण समझौते की प्रक्रिया तेज हो होगी। यह प्रस्ताव किया गया था कि माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) जल साझाकरण के मुद्दे को हल करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक कर सकती हैं।

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि दमनगंगा-पिंजल लिंक को स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है क्योंकि इसका पार-तापी-नर्मदा लिंक से कोई संबंध नहीं है और दोनों लिंक पर अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने दमनगंगा-पिंजल लिंक और पर-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने कहा कि दोनों राज्यों के

बीच मतभेद थे, जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का आयोजन करने जा रहीं थीं।

मद सं. 8.5.2: पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना का डीपीआर पूरा कर लिया गया था और अगस्त, 2015 में गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों को सौंप दिया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 10 सितंबर 2015 के अपने अर्ध शासकीय पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) से दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं पर जल साझाकरण से संबंधित सभी मुद्दे सुलझने पर कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की। जैसा कि पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाएं लिंक से जुड़ी है, यह प्रस्ताव किया गया था कि माननीय केंद्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ दोनों परियोजनाओं के जल साझाकरण मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि वह दोनों राज्यों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन करेंगी।

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि तापी मेगा रिचार्ज योजना पर प्रतिवेदन की प्रति गुजरात सरकार को उपलब्ध कराई जाए। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने कहा कि योजना के डीपीआर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा और दोनों के बीच में पारस्परिक रूप से साझा किया जायेगा।

मद सं. 8.6: अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति

यह उल्लेख किया गया था कि 2 अंतरा-राज्य लिंक के डीपीआर (i) बुरही-गंडक-नून-बाया-गंगा और (बिहार) की कोसी-मेची जो पहले पूर्ण हो चुके है और बिहार सरकार को सौंप दिए गए हैं, केंद्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के अधीन थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि रा.ज.वि.अ. द्वारा तमिलनाडु के पौन्नैयार-पलार लिंक, महाराष्ट्र के वैनगंगा-नलगंगा लिंक, झारखंड का बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक और ओडिशा के वमसाधारा-रूशिकुल्या का डीपीआर बनाया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अंतरा-राज्य नदी लिंक प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई थी।

कार्यसूची टिप्पण में दिए गए अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं. 8.7 : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रा.ज.वि.अ. द्वारा अंतरा-राज्य नदी लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का निर्णय।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि रा.ज.वि.अ. के कार्यों/अधिदेश में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की तैयारी हेतु दिनांक 19 मई, 2011 के संकल्प पात्र द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा दिनांक 11, जून, 2011 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया है। वर्तमान में राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं के डीपीआर रा.ज.वि.अ. द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अनुदान

सहायता के जरिए रा.ज.वि.अ. को दिए गए धनराशि से तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 1.12.2015 द्वारा अंतरा- राज्य लिंक के डीपीआर के वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

"रा.ज.वि.अ. को स्वयं को अंत:राज्यीय नदी संपर्क परियोजना डीपीआर तक सीमित करना चाहिए। वे किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अंतरा-राज्य नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाएं के केवल परामर्श कार्य ही कर सकते हैं। भारत सरकार के निधि का प्रयोग अंत:राज्यीय नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के की डीपीआर तैयारी हेतु नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उपरोक्त निर्णय/दिशानिर्देश ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ. द्वारा भावी परियोजनाओं के लिए अंतरा-राज्य लिंक के डीपीआर की तैयारी व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा।

नीति आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि रा.ज.वि.अ. के पास उपलब्ध नदियों के लिंकों के डीपीआर तैयार करने की विशेषज्ञता राज्यों को प्रदान की जानी चाहिए, जिस हेतु रा.ज.वि.अ. को मजबूत किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने बताया कि ज्यादातर राज्यों ने जल संसाधन परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल कर ली है और रा.ज.वि.अ. को अंत:राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। तथापि राज्य सरकारें यदि वांछित हों तो अंतरा -राज्य संबंधों के डीपीआर तैयार करने हेतु रा.ज.वि.अ. की सहायता, परामर्श आधार पर ले सकती हैं।

मद सं. 8.8: राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि विशेष समिति की छठवीं बैठक में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (उप-समिति-III) के पुनर्गठन के लिए उप-समिति की प्रतिवेदन माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को सौंपी गई और रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। यह प्रतिवेदन विशेष समिति को सातवीं बैठक में सौंपी गई थी। इससे पहले, समिति की सिफारिशों सहित प्रतिवेदन की एक प्रस्तुति उप-समिति पुनर्रचना के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 15.9.2015 को आयोजित विशेष समिति की छठे बैठक के दौरान पर की गई इसके अलावा, विशेष समिति की छठवीं बैठक में निर्णय के अनुसार पुनर्रचना के लिए उप -समिति की प्रतिवेदन की एक प्रति मुख्य सलाहकार (**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**) और कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन के अध्यक्ष को सौंपी गई थी; और विशेष सचिव (**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**) की जांच और प्रसंस्करण के क्रियान्वयन हेतु सौंपी गई थी। विशेष समिति की पिछली बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि सदस्य दो हफ्तों के समय में प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रदान कर सकते हैं और सदस्यों की टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के बाद, प्रतिवेदन को सरकार के अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाएगा। यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

समिति ने निर्णय लिया कि सरकार के अनुमोदन के लिए **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय** द्वारा शीघ्र संसाधित किया जाये ।

मद सं. 8.9: नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु उप-समिति-I और II के विशेष समिति के अधीन

कार्यकाल का विस्तार

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि 17.10.2014 को नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की पहली बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.2.2015 द्वारा तीन उप-समितियों का गठन किया था, अर्थात (i) नदियों का अंतर्योजन (उप-समिति-I) विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के मुद्दे पर उपलब्ध के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति; (ii) वैकल्पिक योजना (उप-समिति-II) सबसे उपयुक्त प्रणाली अध्ययन की पहचान के लिए उप-समिति; और (iii) रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति। रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और सितंबर, 2015 में प्रतिवेदन को मंत्रालय को सौंप दिया है। उप-समिति-I और II का कार्यकाल छह महीने था, जिसे 12 फरवरी, 2016 तक **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय** विशेष समिति की पांचवीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 12.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा छह महीने तक बढ़ा दिया गया था।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे कहा कि उपसमिति-I और II के संदर्भ की शर्तें काफी व्यापक थीं। उपसमिति-I की छह बैठकें और उपसमिति-II की सात बैठक अब तक आयोजित की गई है, जिसमें से चार में दोनों की संयुक्त बैठक हुई थी । उन्होंने इन उप-समितियों द्वारा की गई चर्चा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इन उप-समितियों का कार्यकाल 12 फरवरी, 2016 तक समाप्त हो जाएगा। सदस्यों ने इन उप-समितियों के संदर्भ शर्तों में नदियों का अंतर्योजन पर कार्यबल जैसा दीर्घकालिक कार्य और अध्ययन सराहना की है। यह पाया गया कि इन उप-समितियों द्वारा अभी भी बड़ी मात्रा में काम किया जाना शेष है। इस प्रकार, उप-समिति-I और II का कार्यकाल, विभिन्न अध्ययन, समीक्षा प्रतिवेदन/प्रणाली अध्ययन, प्रतिवेदन/अध्ययन आदि के मूल्यांकन हेतु छह महीने तक बढ़ाया जाना आवश्यक है।

विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित रूप में उप-समिति- I और II के कार्यकाल दिनांक 12 फरवरी, 2016 से छह माह आगे विस्तार करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 8.10 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि महानदी -गोदावरी लिंक अध्ययन में कुछ समय लग सकता है, इसलिए गोदावरी-कृष्णा-कावेरी लिंक अध्ययन के लिंक प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकता है, क्योंकि गोदावरी नदी में मौजूदा दौलेश्वरम बैराज पर बहुत अधिक जल उपलब्ध था। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया है कि महानदी बेसिन का अधिशेष जल गोदावरी नदी पर ले जाया जाना है और इसलिए महानदी-गोदावरी लिंक प्रस्ताव को पहले अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि महानदी-गोदावरी लिंक की योजना को अंतिम रूप दिए बिना, प्रायद्वीपीय अवयवों के नीचे के लिंक नहीं उठाए जा सकते।

सलाहकार, तेलंगाना सरकार ने कहा कि निर्भर जल राज्य का था। उन्होंने उल्लेख किया कि श्रीरामसागर परियोजना के ऊपर की ओर से गोदावरी बेसिन में जल था, जिसे पहले भरा जाना आवश्यक था। उन्होंने आगे कहा कि शब्द 'अधिशेष जल' को पुन: परिभाषित और लिंक नहरों को मोड़ने के लिए संतुलन/अधिशेष जल की मात्रा पर पहुंचने से पहले समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके राज्य की राय में अधिशेष जल का भरोसेमंद प्रवाह (जो कि 50% या उससे कम है) अतिरिक्त उपलब्ध था जो समुद्र में अप्रयुक्त प्रवाहित हो जायेगा। इस तरह के जल को कृष्णा बेसिन में मोड़ने के लिए और आगे दक्षिण के लिए योजना बनाई जा सकती है।

मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि क्षेत्र/राज्य में उपलब्ध जल की उपलब्धता, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग, समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवश्यकता और आधुनीकरण की आवश्यकता मौजूदा नेटवर्क आदि को देखते हुए 'अधिशेष जल' शब्द का निर्णय लिया जा सकता है।

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि 75% निर्भरता प्रवाह के मानदंड को परियोजना के लिए नहीं लिया जाना चाहिए, इसके बजाय अनुकरण अध्ययन के आधार पर परियोजना की 75% सफलता दर पर विचार किया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि गांधीसागर जलाशय में बनाई गई बड़ी भंडारण क्षमता राज्य की जल की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान जल घाटे वाले राज्य है, 75% निर्भरता पर परियोजनाओं की योजना के लिए मानदंडों पर छूट देना चाहिए।

श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि 'अधिशेष जल' शब्द जटिल था। उन्होंने उल्लेख किया कि इस संबंध में जो भी समय और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया था, उस तकनीक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बेहतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 120 मीटर की सीमित मानदंड रा.ज.वि.अ. द्वारा नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना में बढ़ोतरी के लिए समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि संवैधानिक प्रावधानों की भी समीक्षा की जा सकती है और जल विवादों के जल न्यायाधिकरण के अधिनिर्णयों से अलग निर्णय आवश्यकतानुसार लिए जा सकते हैं।

श्री विराग गुप्ता ने कहा कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यक्रम अधिशेष जल पर आधारित थे। उन्होंने उल्लेख किया कि अधिशेष जल की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, हालांकि 'अधिशेष जल' के सिद्धांत तैयार किए जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार "*गिव एंड टेक*" का सिद्धांत भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री बी. एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार (**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**) और अध्यक्ष, नदियों का अंतर्योजन कार्यबल ने कहा कि 'अधिशेष जल' एक सापेक्ष शब्द था। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में दृष्टिकोण 'आपूर्ति प्रबंधन' से निपटना था, हालांकि, यह 'मांग प्रबंधन' पर आधारित होना चाहिए।

माननीय केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उनके अंतिम टिप्पणी में उल्लेख किया कि श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) और अध्यक्ष, नदियों का अंतर्योजन कार्यबल प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति के साथ नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के उद्देश्य के लिए 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विचार करेंगे और इसके बारे में नदियों का अंतर्योजन कि विशेष समिति को दो महीने में अपनी सिफारिशें देंगे। राजस्थान की माही-लूनी अंतरा-राज्य लिंक के पीएफआर की समीक्षा रा.ज.वि.अ. द्वारा की जा सकती है। उन्होंने देखा कि राजस्थान द्वारा ड्रिप और सिंचाई के लिए किया गया काम सराहनीय था। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि पंचेश्वर परियोजना के डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस परियोजना के पूरा होने पर राजस्थान को यमुना-राजस्थान लिंक के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। तापी बेसिन में भूजल के मेगा रिचार्ज की योजना से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लाभ होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले मुद्दों को स्फूर्त करने के लिए जल्द ही दमनगंगा-पिंजल लिंक और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के बारे में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र से दमनगंगा-पिंजल लिंक को देखते हुए, कोयना-मुंबई शहर के अंतरा-राज्य लिंक पर अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि दोनों परियोजनाओं के उद्देश्यों की समानता है, अर्थात मुंबई शहर को जलापूर्ति। उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना के

कार्यान्वयन पर आगे काम करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने सभी राज्यों को मन से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रखने के लिए आग्रह किया ताकि पूरे राष्ट्र के हित में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यक्रम आगे बढ़ सकें।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन हुआ।

******

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की नई दिल्ली में दिनांक 08.02.2016 को आयोजित आठवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची

1.	सुश्री उमा भारती, माननीय केंद्रीय मंत्री , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो० संवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ० राम प्रताप, माननीय मंत्री (जल संसाधन), राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
4.	श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री (जल संसाधन), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
5.	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय मंत्री (जल संसाधन), झारखंड सरकार, रांची	सदस्य
6.	श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकार	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
7.	श्री एन.एस. पलानियप्पन, अपर मुख्य सचिव, लोक सेवा विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
8.	श्री आर.एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	सदस्य
9.	श्रीमती टिंकू विस्वाल, सचिव (जल संसाधन विभाग), केरल सरकार, तिरुवंतपुरम	सदस्य
10.	श्री पी.बी. रामामूर्ति, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग,	माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व

	कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	
11.	श्री जितेंदर कुमार, सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
12.	श्री हीरालाल मेंदेगिरी, सलाहकार (जल संसाधन), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व
13.	श्री वी.के. गुप्ता, मुख्य अभियंता (एस), उ०प्र० सिंचाई, झांसी	प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
14.	श्री उमेश डोंगरे, सलाहकार, कार्यालय मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
15.	श्री पी.पी. चंगकाकाटी, सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार, दिसपुर	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
16.	श्री गुरुपादस्वामी बी.जी., सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	श्री एस.वी. भगत, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर, छत्तीसगढ़	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्री विनोद शाह, अपर सचिव सह प्रमुख अभियंता, राजस्थान सरकार	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री डी. रामा कृष्णा, मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, आंध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद	प्रधान सचिव, सिंचाई एवं सीएडी, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री के.के. सिंह, अपर आवासीय आयुक्त, पुदुचेरी सरकार, पुदुचेरी	सचिव (पीडब्ल्यूडी), पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्री आर.एस. प्रसाद, से.नि. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
22.	श्री ब्रजेश सिक्का, सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
23.	श्री संतोष कुमार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
24.	श्री राम पुकार रंजन, प्रमुख अभियंता (एस), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व

25.	श्री के.बी. रबादिया, प्रमुख अभियंता (एसजी) एवं अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
26.	श्री एस.के. पटनायक, प्रमुख अभियंता सह विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा	प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
27.	श्री विराग गुप्ता, संविधान एवं पर्यावरण कानून विशेषज्ञ, नई दिल्ली	सदस्य
28.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार (डब्ल्सयूआर, आरडी एण्ड जीआर), नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्री नरेंद्र बिरथरे, पूर्व विधानसभा सदस्य, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	सदस्य
30.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

स्थायी आमंत्रित

31. श्री बी.एन. नवलावाला,
माननीय केंद्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय) के प्रमुख सलाहकार एवं अध्यक्ष, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन

विशेष आमंत्रित

32. डॉ० अमरजीत सिंह,
विशेष सचिव, (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय),
नई दिल्ली

33. श्री एम. गोपालकृष्णन,
अध्यक्ष, उप-समिति-III, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन एवं सदस्य, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन

34. श्री ए.डी. मोहिले,
पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं
सदस्य, कार्यबल-नदियों का अंतर्योजन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के अधिकारी

35. डॉ० बी. राजेंदर,
संयुक्त सचिव (पीपी),
डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

36. श्री बी.के. पांडा,
माननीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

37. श्री श्याम विनोद मीणा,
राज्यमंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय) के निजी सचिव,

राज्य सरकारों के अधिकारी

38. श्री आर. सुब्रमण्यम,
अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
चेन्नई, तमिलनाडु

39. श्री एम. बंगारा स्वामी,
मुख्य सलाहकार, आईएसडब्ल्यू,
डब्ल्यूआरडीओ, बेंगलुरु, कर्नाटक

40. श्री सुमनेश माथुर,
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

41. श्री एस.सी. शर्मा,
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग,
झांसी (उ.प्र.)

42. श्री आर.के. सिंगला,
अधीक्षण यंत्री,
आईएसडब्ल्यूडी, हरियाणा सरकार, दिल्ली

43. श्री योगेश कुमार मित्तल,
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

44. श्री एम.पी. समरिया,
कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

45. श्री डी. शंकरा राव,
उप कार्यपालन अभियंता,
कार्यालय प्रमुख अभियंता, अंत:राज्यीय एवं जल संसाधन विभाग,
हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

46. श्री जी.एम. माथुर,
संपर्क अधिकारी,
बिहार सरकार, नई दिल्ली

एनड्ब्ल्यूडीए के अधिकारी

47. श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मु०),
नई दिल्ली

48. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

49. श्री एम.पी. गुप्ता,
निदेशक (वित्त),
नई दिल्ली

50. श्री के.पी. गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

51. श्री जब्बार अली,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

52. श्री आर.के. शर्मा,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

53. श्री नागेश महाजन,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

54. श्री के.के. राव,
उप निदेशक (एच),
नई दिल्ली

55. श्री एम.एस. अग्रवाल,
वरिष्ठ परामर्शदाता,
रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली

56. श्री के.पी. सिंह,
वरिष्ठ परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

57. श्री एम.के. सिन्हा,
वरिष्ठ परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

58. निजाम अली,
परामर्शदाता, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली